

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(2)नविवि/3/66 पार्ट

जयपुर, दिनांक 23 MAY 20

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.05.2013 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.11.2021 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को धारा-7 के अन्तर्गत अनुमोदित भरतपुर मास्टर प्लान-2023 की समयावधि क्षितिज वर्ष-2023 को समाप्त हो रही है, को एतद्वारा वर्ष-2031 तक के लिये बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.08.2001 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 05.01.2002 के द्वारा अधिसूचित, " भरतपुर नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से


(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निर्जा सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, (एन.सी.आर.), जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
9. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

11

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय